कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

पत्रांक : 9 / उपा0 / बीज / अनु0–46 / 2018 / कृ0 पटना दिनांक , 2018

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय भा.प्र.से.
कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

मे0 एन0डी0एम0 क्रॉप साईन्स प्रा0 लि0,
(गुरूग्राम, हरियाणा)
द्वारा– अश्विनी इन्टरप्राइजेज,
349 मौर्या कॉलोनी, विस्कोमान गोलम्बर,
गुलजारबाग, पटना–7

विषय :– **बीज बिक्री हेतु नयी बीज अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

आपसे प्राप्त प्रपत्र– 'ए' कोषागार चालान, स्थल जांच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए निम्नलिखित शर्त्तो के अधीन क्रमांक–7 के लिए पंजीकरण किया जाता है–

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा–पूरा पालन करेगें।
2. बीज बिक्री एवं भंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अन्तर्गत घोषित बीज समय–समय पर बीज नमूना जांच के लिए लेगें।
4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते है।
6. पंजीकरण प्रमाण–पत्र संख्या......50/2018......संलग्न है।
7. राज्य के लिए केवल अनुशंसित / अधिसूचित संलग्न सूची के फसल प्रभेदों का ही व्यापार करेगें।
8. पंजीकरण की वैद्यता तिथि....01/08/2021.....तक मान्य है।
9. कृषि निदेशालय के ज्ञापांक– 2408 दिनांक– 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गयी है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनु0– बीज की सूची एवं प्रपत्र 'बी' संलग्न।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 4146 दिनांक– 02-8-18

प्रतिलिपि:– 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान / सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) / उप निदेशक (शष्य) बीज / उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय / उप निदेशक (शष्य) फसल / उप निदेशक (शष्य) तेलहन / उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण / उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना / सभी जिला कृषि पदाधिकारी / सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी / सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक) / सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड एवं ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

27-7-18

कृषि निदेशक, बिहार, पटना